पंचदश बिहार विधान सभा

षोडश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-10.04.2015 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्रीमती रेणु कुमारी, स०वि०स० श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स०	''दिनांक-11.02.2015 को मधेपुरा रैक प्वायंट से 900 बोरा (45 एम.टी.) यूरिया से लदा दो ट्रक मुरलीगंज स्थित मे० कृषि विकास केन्द्र पहुंचने के साथ ही सैंकड़ों लोगों के साथ असामाजिक तत्वों द्वारा व्यवसायी के घर/गोदाम पर हमला कर 700 बोरा यूरिया लूट लिया गया । स्थानीय प्रशासन की उपस्थिति में यह लूट होती रही, लेकिन पुलिस प्रशासन मूक-दर्शक बना रहा । उनलोगों द्वारा मुरलीगंज थाना पर पथराव एवं तोड़-फोड़ भी की गयी जिससे संबंधित थाना कांड सं०-18/15 दर्ज हुआ । दिनांक-11.02.2015 को ही व्यवसायी द्वारा प्राथमिकी 19/15 दर्ज करायी गयी । उर्वरक व्यवसायी संघ द्वारा दिनांक-12.02.2015 को लिखित आवेदन आयुक्त, सहरसा प्रमंडल को दिया गया । घटना के विरोध में बाजार बंद हुए परन्तु असामाजिक तत्वों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जिससे व्यवसायीगण भयाक्रांत हैं । अत: उक्त घटना में शामिल असामाजिक तत्वों पर कठोर कार्रवाई करते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं क्षतिपूर्ति हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''	गृह (आरक्षी)

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, स०वि०स० श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, स०वि०स० श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० श्री श्रीनारायण यादव, स०वि०स० श्री अम्बिका सिंह, स०वि०स० डॉ० रामानन्द यादव, स०वि०स०	"ग्रामीण कार्य प्रमंडल, आरा द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एन०एच०-30 (आरा-पटना राष्ट्रीय उच्च पथ) सकडी के पास से यादव टोला तक सड़क बनाये जाने की स्वीकृति हुई परंतु सड़क बना दी गयी पचैना से गीधा तक । इसी तरह से बड़हरा से पश्चिमी बबुरा तक पथ बनाये जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई परंतु बना दी गयी मनोछपरा से मखदुमपुर तक । ये दोनों ही सड़कें पहले से कालीकृत थीं, फिर भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के गाईडलाईन तथा सरकार की स्वीकृति का उल्लंघन कर इन्हें बना दिया गया । इसके साथ-साथ, सिंगही से पैगा तक पहले से कालीकृत सड़क पर फिर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के गाईडलाईन के विपरीत पिछले वर्ष सड़क बना दी गयी जो अभी ही जीर्ण-शीर्ण हो गयी । सड़कों के रूट बदल देने तथा कालीकृत सड़क को ही फिर से बनाये जाने के पीछे एकमात्र उद्देश्य राशि का गबन करना है । तीनों सड़कों के निर्माण पर खर्च दर्शायी गयी लगभग 12 करोड़ की राशि का गबन कर लिया गया है । अतः स्वीकृत सड़क के बदले दूसरी सड़क बनाने और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के गाईडलाईन का उल्लंघन कर गबन करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई हेतु हम सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	ग्रामीण कार्य

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-20/15- 714 / वि०स०, पटना, दिनांक- 09 अप्रील, 2015 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / गृह (आरक्षी) विभाग तथा ग्रामीण कार्य विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

9/4/15

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-20/15- 714 / वि०स०, पटना, दिनांक- 09 अप्रील, 2015 ई० ।

प्रति :- उप सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

9/4/15

(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।